



राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

Regd. No. RJ. 33/97
RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

आषाढ़ 31, गुरुवार शाके 1921—जुलाई 22, 1999

Asadha 31, Thursday, Saka 1921—July 22, 1999

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में समस्त विज्ञसियां आदि।

देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

अधिसूचनाएं

जयपुर, जुलाई 12, 1999

संख्या प. 10 (19) देव/87:- वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 (8) की प्रक्रियानुसार धारा 14 (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा श्री नासिर अली नक्वी को राजस्थान वक्फ बोर्ड का चेयर पर्सन नियुक्त करती है।

जयपुर, जुलाई 12, 1999

संख्या प. 10 (19) देव/87:- वक्फ अधिनियम, 1995 (वर्ष 1955 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 14 (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा नीचे वर्णित व्यक्तियों को राजस्थान वक्फ बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है। इनके पद की अवधि पांच वर्ष होगी।

1. श्री एमामुदीन अहमद खान

लुहारू हाऊस, सिविल लाईन्स, जयपुर

संसद सदस्य

2. श्री अब्दुल अजीज

1, हसनपुरा, जयपुर

सदस्य

विधान सभा

3. श्री हफीज मोहम्मद

सी-7, एम. एल. ए.
क्वाटर्स, जयपुर

सदस्य

विधान सभा

4. श्री नासिर अली नक्वी

1, किंदवई नगर,
इमली वाला फाटक, जयपुर

सदस्य

बार कौन्सिल

5. श्री कारी अबुल फतेह

हनुमानगढ़ (राज.)

मुतवल्ली

6. श्री मोहम्मद युसुफ खान

अन्दर कोट, अजमेर (राज.)

मुतवल्ली

7. श्री इकबाल अहमद

पूर्व मंत्री, झालावाड़ (राज.)

मुस्लिम संगठन

8. श्री मोहम्मद अनवर

मस्जिद सरदारपुरा, जोधपुर (राज.)

मुस्लिम संगठन

9. श्री मोहम्मद अली जैदी

नला नीलगरान

शिक्षाविद

10. श्री मोलवी फजरुद्दीन

चौ. रामचन्द्र जी, जयपुर (राज.)

शिक्षाविद

11. श्री शफी मोहम्मद कुरेशी

ग्राम टपूकड़ा, तिजारा (अलवर)

प्रशासनिक

31, किंदवई नगर,
इमली वाला फाटक, जयपुर (राज.)

अधिकारी

राज्यपाल की आज्ञा से,
कृष्णा भटनागर,
प्रमुख शासन सचिव।